रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 317] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 22, 2001/आषाढ़ 1, 1923
No. 317] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 22, 2001/ASADHA 1, 1923

MoEF Code

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2001

सा. का. नि. 450(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 22) की धारा 8 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 22 की उपधारा (i) और उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण (अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के विरुद्ध जांच करने के लिए प्रक्रिया) नियम, 2001 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 22) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) "उपाध्यक्ष" से प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ङ) "सदस्य" से प्राधिकरण का कोई सदस्य अभिप्रेत है ;

(2) ऐसे शब्द और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 22) में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं ;

3. (1) कतिपय मामलों में पद से हटाने के लिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के विरूद्ध जांच करने के लिए प्रक्रिया— राष्ट्रपति आदेश द्वारा प्राधिकरण के ऐसे अध्यक्ष, या उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकेगा, जिसे -

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है ; या

(ग) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो गया है ; या

(घ) प्राधिकरण के समक्ष किसी मामले में ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे उसके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में कृत्यों पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

(ङ) इस प्रकार अपने पद का दुरुपयोग किया है जिससे पद पर उसका बना रहना लोकहित के विरुद्ध हो गया है ।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य उपनियम के उपखंड (घ) और ङ में विनिर्दिष्ट आधारों पर उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश ने, जांच करने पर, यह रिपोर्ट नहीं की हो कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य को ऐसे आधार या आधारों पर हटाया जाना चाहिए ।

4. न्यायाधीश की शक्तियां.-- (1) न्यायाधीश सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा अधिकथित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगा किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा और उसे अपनी प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत उसकी जांच का स्थान और समय नियत करना है, विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(2) न्यायाधीश को, इन नियमों के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शक्तियां होंगी जो किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित है, अर्थात् :-

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए समन करना और प्रवर्तित कराना और उसकी शपथ पर जांच करना ;

(ख) दस्तावेजों की खोज और उनके प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ; और

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज अथवा ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की अभ्यपेक्षा करना ।

[सं. जेड-20018/15/2000-सीपीए]

विजय शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2001

G. S. R. 450 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) and clause (a) of sub-section (2) of Section 22 read with sub-section (4) of Section 8 of the National Environment Appellate Authority Act, 1997 (22 of 1997), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

1. Short title and commencement.---(1) These rules may be called the National Environment Appellate Authority (Procedure for Conducting Inquiry against the Chairperson or the Vice-Chairperson or a Member) Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the National Environment Appellate Authority Act, 1997 (22 of 1997);

(b) "Authority" means the National Environment Appellate Authority established under sub-section (1) of section 3 of the Act;

()

(d) "Vice-Chairperson" means the Vice-Chair person' of the Authority;

(e) "Member" means a Member of the Authority;

(2) Words and expression used and not defined in these rules but defined in the National Environment Appellate Authority Act,1997 (22 of 1997), shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3.(1) Procedure for conducting inquiry against the Chairperson or the Vice-Chairperson or a Member for removal from office in certain circumtances.---The President may by an Order remove from office the Chairperson or the Vice-Chairperson or any Member of the Authority, who

(a) has been adjudged an insolvent; or
(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the President, involves moral turpitude;or
(c) has become physically or mentally incapable of acting as the Chairperson or the Vice-Chairperson or a Member; or
(d) has acquired such financial or other interest in the matter before the Authority as is likely to affect prejudicially his functions as the Chair person or the Vice-Chairperson or a Member; or
(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1),the Chairperson, the Vice-Chairperson or a Member of the Authority shall not be removed from his office on the grounds specified in sub-clauses (d) and (e) of that sub-rule unless a judge of the Supreme Court has, on an inquiry, reported that the Chairperson or the Vice-Chairperson or a Member ought on such ground or grounds to be removed.

4. Powers of the Judge.--(1) The judge shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure,1908 (5 of 1908), but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate his own procedure including the fixing of places and times of his enquiry.

(2) The judge shall have, for the purposes of discharging his functions under these rules, the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), while trying a suit, in respect of the following matters, namely :-

(a) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
(b) requiring the discovery and production of documents;
(c) receiving evidence on affidavits ; and
(d) subject to the provisions of section 123 and 124 of the Indian Evidence Act,1872 (1 of 1872), requistioning any public record or document or copy of such record or document from any office.

[No. Z-20018/15/2000-CPA]

VIJAI SHARMA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.